



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]
No. 113]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 18, 2000/माघ 29, 1921
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 18, 2000/MAGHA 29, 1921

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2000

सा.का.नि. 141(अ).—स्थिर एवं गतिशील दाब पात्रों का अज्ज्वलित नियम, 1981

जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, विस्फोटक अधिनियम, 1884 का 4 की धारा 18 की उप-धारा 1 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 216 अ, तारीख 19 मार्च, 1999 द्वारा, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड 1, तारीख 19 मार्च, 1999 में प्रकाशित हुई थी, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है पतालिप्त दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 19 मार्च, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 §1884 का 4§ की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र §अज्ज्वलित§ नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. §1§ इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र §अज्ज्वलित§ §संशोधन§ नियम, 1999 है ।

§2§ ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र §अज्ज्वलित§ नियम, 1981 §जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है§ के नियम 2 में, -

§1§ खंड §ख§ के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"§ख ख§ "बाटलिंग संयंत्र" से ऐसे परिसर अभिन्नेत है जहां 'सिलेण्डरों' को संपीडित गैस से भरा जाता है;";

§2§ खंड §उ§ के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"§उउ§ "क्रांतिक तापमान" से वह तापमान अभिन्नेत है जिससे उमर गैस केवल दाब लगाने से द्रवित नहीं की जा सकती है;

§उउउ§ "सिलेण्डर" या "गैस सिलेण्डर" से संपीडित गैस के भण्डारण और परिवहन के लिए आशयित कोई बन्द धातु आधान अभिन्नेत है जिसका अर्थ वही है जो उसे गैस सिलेण्डर नियम, 1981 के नियम 2 खंड §xvi § में समनुदेशित;";

§3§ खंड §झ§ के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

"§झझ§ "डिस्पेंसर" से मोटरयानों को आटोमोटिव ईंधन के रूप में द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय करने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदायकता अवस्थापन में प्रतिष्ठापित उपस्कर अभिन्नेत है;";

§4§ खंड §ट§ के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
 "§ट§ "भरण बिन्दु" से पात्र की अन्तर्गम पाइप कनेक्शन को ऐसा बिन्दु अभिप्रेत है जहाँ पात्र में संपीड़ित गैस भरने के लिए होज जुड़ा है";

§5§ खंड §द§ के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 "§दक§ "द्रवित पेट्रोलियम गैस" में सामान्य परिवेशी तापमान पर दाब द्वारा द्रवित अवस्था में हाइड्रोकार्बन गैस सम्मिलित है और जो भारतीय मानक विनिर्देश सं. आई एस. 4576 के अनुरूप है;

§दख§ "द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदायकर्ता अवस्थान" से द्रवित पेट्रोलियम गैस के भण्डारण और उसे मोटर यानों को आटोमोटिव ईंधन के रूप में प्रदाय करने के लिए प्रयुक्त परिसर अभिप्रेत है;

§दग§ "मोटर यान" से ऐसा यान अभिप्रेत है जिसका अर्थ वही है जो उरो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 2 की उपधारा §28§ में समनुदर्शित है;

§दघ§ "पेट्रोलियम सर्विस अवस्थान" से मोटर यानों में ईंधन भरने के प्रयोजन के लिए पेट्रोलियम के भण्डारण के लिए प्रयुक्त ऐसे परिसर अभिप्रेत है जो पेट्रोलियम नियम, 1976 के प्ररूप ×11 में अनुज्ञप्त है";

§6§ खंड §फ§ के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"§फक§ "टंकी ट्रक भरने या खाली करने के लिए जंत्री" या "मजबूत स्टैंड" से टैंकों ट्रक या गतिशील दाबपात्र की उसमें या उससे संपीड़ित गैस भरने या खाली करने के लिए पार्किंग की, अवास्थिति अभिप्रेत है";

3. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4. भरने, विनिर्माण करने और आयात करने पर निर्वधन-

§1§ कोई व्यक्ति तब तक किसी पात्र में कोई संपीड़ित गैस नहीं भरेगा या किसी संपीड़ित गैस से भरे किसी पात्र का परिवहन नहीं करेगा जब तक कि ऐसे पात्र का विनिर्माण नियम 12 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट

प्रकार या मानक या कोड के अनुसार नहीं किया गया हो ।

§2§ कोई व्यक्ति उपनियम §1§ के अधीन अनुमोदित पात्र का, मुख्य नियंत्रक के अनुमोदन के बगैर विनिर्माण नहीं करेगा ।

§3§ उपनियम §2§ के अधीन मुख्य नियंत्रक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति उसे निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :-

§क§ इन नियमों के परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां;

§ख§ नियम 11 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में पांच सौ रूपए की जांच फीस ।

§4§ कोई व्यक्ति मुख्य नियंत्रक के पूर्व अनुमोदन के बगैर किसी पात्र का आयात नहीं करेगा ।

उपनियम 4के अधीन मुख्य नियंत्रक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा-

§क§ विनिर्माता या मूल देश के निरीक्षण अधिकरण का पात्र का जांच और निरीक्षण प्रमाण पत्र;

§ख§ पात्र के डिजाइन के ब्यारे, उसकी फिटिंग्स और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के विनिर्देशों की विशिष्टियां;

§ग§ नियम 11 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में पांच सौ रूपए की जांच फीस" ।

4. उक्त नियमों के नियम 9 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"4क. अनुज्ञात परिसरों के भीतर पर्यवेक्षण और प्रचालन : अनुज्ञात परिसरों का प्रचालन ऐसे व्यक्तियों के पर्यवेक्षण के अधीन होगा जो परिसरों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की जानकारी रखते हैं और जो संपीड़ित गैस की हैंडलिंग में प्रशिक्षित हैं तथा अन्य आपेटर संपीड़ित गैस और अग्निशामक प्रचालनों से सहयुक्त परिसंकेतों से सुपरिचित होंगे ।"

5. उक्त नियमों के नियम 18 में,-

§क§ उप नियम §1§ में, मद §2§ के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा अर्थात् :-

§2§ पात्र कनेक्शन पात्रों के कनेक्शन, नियम 12 के अधीन विनिर्दिष्ट डिजाइन कोड के अनुसार डिजाइन किए जाएंगे और पात्र से जोड़े जाएंगे। दाब अवस्था में संक्षारक, ज्वलनशील या विषैली गैस के भंडारण के लिए सभी स्थिर पात्रों में जल निकास से अलग, तल पर अन्तर्गम या निर्गम के लिए एक से अधिक पाइप कनेक्शन नहीं होगा। जल निकास पाइप यदि दिया गया है तो पात्रों की अनुलंबीय छाया से परे तक विस्तारित होगा और उसमें दो बंद होने वाले वाल्व होंगे। गोल पात्र से सीधे कोई जल निकास नहीं दिया जाएगा। गोल पात्र के लिए अन्तर्गम या निर्गम पाइप पात्र से अभिन्न रूप से बेल्ट होगी और पात्र की अनुलंबीय छाया से तीन मीटर परे तक विस्तारित होगी और उसके अन्त पर हस्त और रिमोट चलित वाल्वों का संयोजन लगाया जाएगा,“;

§ख§ उप नियम §3§ में मद §2§ के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह कि आपातकाल में बन्द होने वाले वाल्व ऐसी दशाओं में अपेक्षित नहीं है जहाँ पात्र के कनेक्शन का व्यास तरल के लिए तीन मिलीमीटर और वाष्प के लिए आठ मिलीमीटर से अनधिक है, या जहाँ पात्र में असंक्षारण, अज्वलनशील या अविषैली गैस भंडारित की जाती है”।

6. उक्त नियमों के नियम 21 में उपनियम §9§ के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“§10§ संक्षारण, ज्वलनशील या विषैली गैस के द्रवित अवस्था में भंडारण के लिए भूमि के ऊपर संस्थापित पात्र में भूमि के चारों ओर बाडा लगाया जाएगा। पात्र और बाडे के मध्य पात्र के व्यास या पांच मीटर, जो भी कम है की न्यूनतम दूरी होगी। भूमि पंप, संपीडकों या अन्य उपकरणों से विपरीत दिशा में ढाल बनाते हुए तैयार की जाएगी। बाडे की ऊंचाई ऊपरी तरफ तीस सेंटीमीटर होगी जो धीरे-धीरे बढ़ते हुए निचली तरफ अधिकतम साठ सेंटीमीटर होगी और जिसके अन्त

पर, गिरे हुए तरल को यदि कोई है, एकत्रित करने के लिए एक उथला निर्गत दिया जाएगा। पात्र और निर्गत के मध्य न्यूनतम विभाजन दूरी निम्नलिखित होगी -

§क§ चालीस हजार लीटर से अनधिक जलधारिता वाले पात्र की दशा में पात्र का व्यास,

§ख§ यदि पात्र की जलधारिता चालीस हजार से अधिक है तो पन्द्रह मीटर।

7. उक्त नियमों के नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :-

"22. दाबपात्र की अवस्थिति - §1§ निकटतम भवन या भवन समूह या साथ लगी हुई सम्पत्ति रेखा को जिस पर निर्माण किया जा सकता है, दृष्टि में रखते हुए और अन्य पात्रों और प्रसुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए पात्रों को नीचे दी गई सारणियों में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार अवस्थित किया जाएगा :-

सारणी - ।

संक्षारक, विषैली या स्थाई ज्वलनशील गैसों के लिए न्यूनतम सुरक्षा दूरियां

क्र. सं.	पात्र की जलधारिता §लिटर्स में§	भवन या भवन समूह या साथ लगी सम्पत्ति की सीमा रेखा से न्यूनतम दूरी	पात्रों के बीच न्यूनतम दूरी
§1§	§2§	§3§	§4§
1.	2,000 से अधिक नहीं	5 मीटर	1 मीटर
2.	2,000 से अधिक लेकिन 10,000 से अधिक नहीं	10 मीटर	1 मीटर
3.	10,000 से अधिक लेकिन 20,000 से अधिक नहीं	15 मीटर	1.5 मीटर
4.	20,000 से अधिक लेकिन 40,000 से अधिक नहीं	20 मीटर	2 मीटर
5.	40,000 से अधिक	30 मीटर	2 मीटर

सारणी-2

असंक्षारक, अज्वलनशील या अविषैली गैसों के लिए न्यूनतम सुरक्षा दूरियां

क्र. सं.	पात्र की जलधारिता लिटरों में	भवन या भवन समूह या साथ लगी संपत्ति की सीमा रेखा से न्यूनतम दूरी	पात्रों के बीच न्यूनतम दूरी
1.	2.	3.	4.
1.	2,000 से अधिक नहीं	3 मीटर	1 मीटर
2.	2,000 से अधिक लेकिन 10,000 से अधिक नहीं	5 मीटर	1 मीटर
3.	10,000 से अधिक लेकिन 20,000 से अधिक नहीं	7.5 मीटर	1.5 मीटर
4.	20,000 से अधिक लेकिन 40,000 से अधिक नहीं	10 मीटर	2 मीटर
5.	40,000 से अधिक	15 मीटर	2 मीटर

सारणी-3

द्रवित ज्वलनशील गैसों के लिए न्यूनतम सुरक्षा दूरियां

क्र. सं.	पात्र की जलधारिता लिटरों में	भण्डारण या प्रचालन से असहबद्ध साथ लगी संपत्ति की सीमा रेखा या भवन समूह से न्यूनतम दूरी	भूमि के ऊपर भूमि के बीच संस्थापित या मिट्टी पात्रों से टके हुए भूमि के ऊपर संस्था- पित पात्र	भूमि के ऊपर भूमि के बीच संस्थापित पात्रों के ऊपर भूमि के ऊपर संस्थापित पात्र	पात्रों के बीच की न्यूनतम दूरी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2000 से अधिक नहीं	5 मीटर	3 मीटर	1 मीटर	1 मीटर
2.	2000 से अधिक लेकिन 7500 से अधिक नहीं	10 मीटर	3 मीटर	1 मीटर	1 मीटर

1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	7500 से अधिक लेकिन 10,000 से अधिक नहीं	10 मीटर	5 मीटर	1 मीटर	1 मीटर
4.	10,000 से अधिक लेकिन 20,000 से अधिक नहीं	15 मीटर	7.5 मीटर	1.5 मीटर	1 मीटर
5.	20,000 से अधिक लेकिन 40,000 से अधिक नहीं	20 मीटर	10 मीटर	2 मीटर	1 मीटर
6.	40,000 से अधिक लेकिन 3,50,000 से अधिक नहीं	30 मीटर	15 मीटर	2 मीटर या साथ लगे	1 मीटर
7	3,50,000 से अधिक लेकिन 4,50,000 से अधिक नहीं	40 मीटर	15 मीटर	पात्र के व्यास का 1/4 या साथ लगे	1 मीटर
8	4,50,000 से अधिक नहीं 7,50,000 से अधिक नहीं	60 मीटर	15 मीटर	2 पात्रों के व्यास	1 मीटर
9	7,50,000 से अधिक लेकिन 38,00,000 से अधिक नहीं	90 मीटर	15 मीटर	का 1/2 जो भी अधिक हो	1 मीटर
10	38,00,000 से अधिक	120 मीटर	15 मीटर		1 मीटर

सारणी-4

पेट्रोलियम परिवहन अधिनियम/गैस प्रसंस्करण संयंत्र भण्डारण स्थापना और भरण संयंत्र में प्रयुक्त ज्वलनशील गैस के भण्डारण से सहयुक्त सुविधाओं के बीच न्यूनतम सुरक्षा दूरियां {मीटरों में}

{क} 100 टन से अधिक के कुल भण्डारण के लिए

से/तक	भण्डारण पात्र	भण्डारण और प्रचालन से असहबद्ध सम्पत्ति की सीमा रेखा/भवन	सिलिण्डरों की फिलिंग स्टोरेज निकासी करने के लिए शेड	टैंको ट्रक भरने/खाली करने के लिए गंत्री	टंकी बेगन गंत्री	पंप/संपीडक शेड	अग्नि जल पंप कक्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
भण्डारण पात्र	सारणी-3	सारणी-3	30	30	50	15	60
भण्डारण और प्रचालन से असहबद्ध सम्पत्ति की सीमा रेखा/भवन	सारणी-3	-	30	30	50	30	-
सिलिण्डरों की फिलिंग स्टोरेज	30	30	15	30	50	15	60
निकासी करने के लिए शेड	30	30	30	30	50	30	60
टैंकी/ट्रक भरने/खाली करने के लिए गंत्री	50	50	50	50	50	30	60
टंकी बेगन गंत्री	15	30	15	30	30	-	60
पंप/संपीडक शेड	60	-	60	60	60	60	-
अग्नि जल पंप कक्ष							

§ 100 टन के अनाधिक के कुल भण्डारण के लिए

10

क्र/तक	भण्डारण पात्र	भण्डारण और प्रचालन से असह-बद्ध सम्पत्ति की सीमा रेखा/भवन	सिलिण्डरों की फिलिंग, स्टोरेज निकासी करने के लिए गैड	टंकी टूक खाली करने/भरने के लिए गंत्री	अग्नि जल पंप कक्ष
1.	2	3	4	5	6
भण्डारण पात्र	सारणी-3	सारणी-3	सारणी-3	15	30
भण्डारण और प्रचालन से असह-बद्ध सम्पत्ति की सीमा रेखा/भवन	सारणी-3	--	15	15	-
सिलिण्डरों की फिलिंग, स्टोरेज निकासी करने के लिए गैड	सारणी-3	15	15	15	30
टंकी टूक खाली करने भरने के लिए गंत्री	15	15	15	15	30
अग्नि जल पंप कक्ष	30	-	30	30	-

सारणी-5

द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय कर्ता अवस्थान पर द्रवित पेट्रोलियम गैस के भण्डारण और उसके मोटर यानों में आटोमोटिव ईंधन के रूप में प्रदाय से सहयुक्त सुविधाओं के बीच न्यूनतम सुरक्षा दूरियां §मीटरों में§

क्र/तक	द्रवित पेट्रोलियम गैस भण्डारण पात्र	द्रवित पेट्रोलियम गैस भण्डारण पात्र का भरन विन्दु और द्रवित पेट्रोलियम गैस टंकी टूक उतराई मजबूत स्टेण्ड का केन्द्र	द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदायकर्ता	सम्पत्ति की सीमा रेखा	पेट्रोलियम नियम 1976 के प्रारूप में अनुज्ञप्त पेट्रोलियम सर्विस अवस्थान
--------	-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------	---

पेट्रोलियम टैंकियों का भरन विन्दु का निकास पाइप

पेट्रोलियम टैंकियों का भरन विन्दु का निकास पाइप

पेट्रोलियम टैंकियों का भरन विन्दु का निकास पाइप

द्रवित पेट्रोलियम गैस भण्डारण पात्र	सारणी-3	9§7500 लीटर की क्षमता से	9§20,000 लीटर की क्षमता से	सारणी-3	9	9	9
-------------------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	---------	---	---	---

	अधिक के भूमि के उपर के/टीले से ढके पात्र§ 6§7500 लीटर की क्षमता से अनधिक के भूमि के उपर के टीले से ढके पात्र§ 3§ भूमि के नीचे पात्र§	अनधिक के भूमि के उपर के पात्र या भूमि के नीचे के पात्र भूमि के नीचे के टीले से ढके पात्र§ 15§20,000 लीटर की क्षमता से अधिक के भूमि के उपर के पात्र						
द्रवित पेट्रोलियम गैस भण्डार पात्र का भरन बिन्दु और द्रवित पेट्रोलियम गैस टंकी टूक उतराई मजबूत स्टैण्ड का केन्द्र	3§7500 लीटर से अधिक की क्षमता के भूमि के उपर के/ टीले से ढके पात्र 6§7500 लीटर से अनधिक की क्षमता के भूमि के उपर के/ टीले से ढके पात्र§ 3 भूमि के नीचे के पात्र§		6	9	6	6	6	
द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदयकर्ता	9 §20,000 लीटर से अनधिक की क्षमता के भूमि के उपर के या भूमि के नीचे के/टीले से ढके पात्र§ 15 §20,000 लीटर से अधिक की क्षमता के भूमि के उपर के पात्र§		6	-	6	6	6	
सम्पति की सीमा रेखा	सा रणी-3		9	6	-	3	4	6

- § 23 बहुपात्र स्थापन की कुल जलधारिता यदि चालीस हजार लीटर से अधिक हो जाती है तो पात्र और संपत्ति वर्ग सीमा रेखा/भवन समूह के मध्य न्यूनतम सुरक्षा दूरी निम्नलिखित से कम नहीं होगी:-
- § 24 संक्षारक, निषेधी या ज्वलनशील गैसों के लिए तीस मीटर ;
- § 25 अक्षारक, अविषैली या अज्वलनशील गैसों के लिए पंद्रह मीटर ;
- § 33 एक समूह में भूमि के उपर संस्थापित पात्रों की संख्या छह: से अधिक होगी । गोल और बेलनाकर पात्र भिन्न समूहों में संस्थापित किए जाएंगे । पात्रों के ऐसे दो समूहों के मध्य न्यूनतम विभाजन दूरी वह होगी जो यथास्थिति, सारणी 1, 2 या 3 में यथा वर्णित पात्र और संपत्ति वर्ग सीमा रेखा के मध्य की दूरी है, या तीस मीटर की जो भी कम हो, दूरी है, पात्रों का एक ऐसा प्रत्येक समूह इन नियमों के अधीन भिन्न अनुज्ञप्ति के अंतर्गत होगा।
- § 44 मुख्य निबंधक, ऐसे मामलों में, जहां उसकी राय में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हं, उपर विनिर्दिष्ट दूरियों में ढील दे सकेगा ।”
- स्पष्टीकरण:- उपर विनिर्दिष्ट दूरियों को पात्र की परिधि पर निकटतम बिन्दु से मापना अपेक्षित है ।”
8. उक्त नियमों के नियम 28 में,
- § क § मद § 1 § के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात:-
- § 1 § क्षेत्र में लागू नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार भण्डारण क्षेत्र में जल की पर्याप्त आपूर्ति और अग्नि सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी । जल का उपयोग हाइड्रैण्ट्स, होजों और गतिशील उपकरणों, स्थिर गान्नीटरों या स्थिर फुहारा प्रणाली द्वारा जो स्वचालित हो सकेगी । किया जा सकेगा । जल प्रवाह का नियंत्रण किसी खतरनाक क्षेत्र के बाहर से संभव होना चाहिए । भूमि के उपर संस्थापित भंडारण पात्रों, भराई शैडों, भरने या चाली करने के क्षेत्र और गंप शैडों के लिए मध्यम वेग फुहारों के साथ अग्नि जल प्रणाली डिजाइन की जाएगी जिसका न्यूनतम फुहारा घनत्व, एकल सबसे

बड़े जोखिम क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर पर दस लीटर प्रति मिनट है और साथ ही हाइड्रेंट सिन्ड्रों के लिए आतिरिक्त ओषार्ण है । नियम 22 की सारणी 4-क में उल्लिखित संयंत्रों में उपलब्ध जल का परिमाण चार घन्टे अग्नि शमन के लिए पर्याप्त होगा और नियम 22 की सारणी 4-ख में उल्लिखित संयंत्रों में वह दो घंटे के अग्निशमन के लिए पर्याप्त होगा । अन्य संस्थापनों के लिए जो सारणी 4-क और 4-ख के अंतर्गत नहीं आते, अग्नि जल भंडारण मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा अनुमोदित होगा ।”

§ 6§ मद § 6§ के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“§ 7§ मोटर यानों में ईंधन भरने के लिए ऐसे प्रदायकर्ता अवस्थान में, जिसमें केवल भूमिगत या भूमि से टके § टीले से युक्त § द्रवित पैट्रोलियम गैस भंडारण पात्र है, दो संख्यांक स्तर किलोग्राम शुष्क रसायनिक प्रकार के अग्नि शामक दिए जाएंगे । भूमि के उपर स्थापित द्रवित पैट्रोलियम गैस भंडारण पात्र वाले प्रदायकर्ता अवस्था में, भंडारण पात्रों और भराई उतराई क्षेत्र के संपूर्ण बचाव के लिए सुविधाजनक स्थानों पर सात किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के न्यूनतम जल दाब वाले हाइड्रेंट दिए जाएंगे और दस लीटर प्रति मिनट प्रति वर्ग मीटर फुहारा घनत्व वाले जल फुवारे भी दिए जाएंगे । अग्नि जल पंप अधिमामितः डीजल इंजन से चालित होंगे जो उपर विनिर्दिष्ट द्र और दाब पर जल वितरण की क्षमता रखेंगे । परिसरों में न्यूनतम उतना अग्नि जल भंडारण होगा जो कम से कम एक घंटे के अग्नि शमन के लिए आवश्यक है ।”

§ 9§ उक्त नियमों के नियम 29 में, उपनियम § 4§ के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

§ 5§ टंकी ट्रक भराई या उतराई गंत्री में, टंकी ट्रकों की पार्किंग के लिए खंडों की संख्या आठ से अनधिक होगी और परिसर में ऐसी गंत्रियों की संख्या दो से अनधिक होगी ।

§ 6§ रेल टैंक वैगन भराई अधिकतम आधे रैक § 8ः सौ टन§ तक सीमित होगी ।

यदि पूर्ण रेक हैंडलिंग अपेक्षित है तो वह दो पृथक गंत्रियों में रखा जाएगा जिनके मध्य पवास मीटर की दूरी होगी ।

§ 78 पात्र पर के सभी वाल्व और परिसरों में सभी पाइप लाइने स्थायी रूप से उस रीति में चिन्हित की जाएंगी जिनमें कि वे खोलने और बंद करने की दिशा को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करेंगी । 8"

§ 108 उक्त नियमों के नियम 30 पश्चात् निम्नलिखित नियम अतः स्थापित किए जाएंगे अर्थातः—

"30 क द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदायकर्ता अवस्था के लिए डिस्पेंसर द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदायकर्ता अवस्था पर मोटर यानों में द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय करने के लिए प्रयुक्त डिस्पेंसर और जुड़ी हुई फिटिंग इन नियमों की अनुसूची 11 में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुसार डिजाइन और निर्मित की जाएगी तथा इनकी जांच और रख-रखाव किया जाएगा और वे उस टाइप के होंगे जो मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित है ।

30 उ द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदायकर्ता अवस्थान में मोटर यान की ईंधन टंकी भरने के लिए और टंकी ट्रक के उतराई के लिए विशेष उपबंध—

§ 18 मोटर यान के इंजन के चालू रहने के दौरान यान की ईंधन टंकी में द्रवित पेट्रोलियम गैस नहीं भरी जाएगी ।

§ 28 टंकी ट्रक से भंडारण पात्र में द्रवित पेट्रोलियम गैस की उतराई की अवधि के दौरान मोटर यानों में द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रदाय की संक्रिया नहीं की जाएगी ।

§ 108 उक्त नियमों के नियम 31 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थातः—

31 क ज्वलनशील गैसों के लिए परिसंकटमय क्षेत्रों का वर्गीकरण —

- १।४ ज्वलनशील गैसों के क्लैस परिसंकटमय क्षेत्र को निम्नलिखित समझा जाएगा -
- क) प्रभाग "0" क्षेत्र यदि क्षेत्र में ज्वलनशील गैसों या वाष्पों के निरन्तर उपस्थित रहने की आशंका है ;
- ख) प्रभाग "1" क्षेत्र यदि क्षेत्र में सामान्य प्रचालन स्थितियों के अंतर्गत ज्वलनशील गैसों या वाष्पों के उपस्थित रहने की आशंका है ; या
- ग) प्रभाग "2" क्षेत्र यदि क्षेत्र में असामान्य प्रचालन स्थितियों या किसी उपकरण के विफल अथवा उसमें छिद्र होने के अंतर्गत ज्वलनशील गैसों या वाष्पों के उपस्थित रहने की आशंका है ।

१2। यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या परिसंकटमय क्षेत्र प्रभाग "0" क्षेत्र है या प्रभाग "1" क्षेत्र है या प्रभाग "2" क्षेत्र है तो उस पर मुख्य नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा ।

3।ख परिसंकटमय क्षेत्र का विस्तार - द्रवित पेट्रोलियम गैस डिस्पेंसर के लिए परिसंकटमय क्षेत्र का विस्तार निम्नलिखित होगा :-

१।१ डिस्पेंसर अडाता कैबिनेट के भीतर का संपूर्ण स्थान और अडाता कैबिनेट के जोर्बर्हभाग से छयालिस सेंटीमीटर क्षैतिजोय तथा डिस्पेंसर आधार के ऊपर एक सौ बाईस सेंटीमीटर को ऊंचाई तक आर संपूर्ण गड्ढा या डिस्पेंसर के नीचे का कुल स्थान प्रभाग "1" होगा ;

१2। आसपास के भूमि तल के अनुलंब में छयालिस सेंटीमीटर ऊंचाई तक और छया छयालिस सेंटी मीटर से परे डिस्पेंसर अडाता कैबिनेट के सभी तरफ क्षैतिजोय छः मीटर तक प्रभाग "2" होगा ।"

12. उक्त नियमों के नियम 46 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"46 का निराक्षेप प्रमाणपत्र- १।१ प्रत्य १4१ में अनुज्ञापित से भिन्न नई अनुज्ञापित के लिए कोई आवेदक जिला प्राधिकारी को, इन नियमों के अधीन अनुज्ञापित के लिए प्रस्तावित परिसरों को अवस्थित दर्शाने वाली स्थल योजना को दो प्रतियों के साथ, इस आशय के प्रमाणपत्र के लिए कि आवेदक के, प्रस्तावित स्थल पर संपीड़ित गैस को दाघ पात्र में भंडारण के लिए अनुज्ञापित प्राप्त करने में कोई आक्षेप नहीं है, आवेदन करेगा और जिला प्राधिकारी, यदि कोई आक्षेप नहीं देखा है तो आवेदक को ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, जिसे वह अपने आवेदन के साथ मुख्य नियंत्रक को अग्रेषित करेगा ।

42. ऊपर उपनियम 41 के अधीन जिला प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ उसके द्वारा, उसको शासकीय मुद्रा से सम्यक रूप से पृष्ठांकित, प्रस्तावित स्थल को योजना को एक प्रोत संलग्न को जाएगा ।
43. मुख्य नियंत्रक ऐसे किसी आवेदन को, जिसके साथ उपनियम 41 के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है, जिला प्राधिकारी को उसके विचार के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा ।
44. यदि जिला प्राधिकारी या तो उसे किए गए निर्देशन पर या अन्यथा मुख्य नियंत्रक को यह सूचना देता है कि उसको राज्य में, ऐसी अनुज्ञापित, जिसके लिए आवेदन किया गया है, नहीं दी जानी चाहिए तो ऐसी अनुज्ञापित केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के बिना जारी नहीं को जाएगा ।
45. ऊपर उपनियम 41 से उपनियम 44 तक में किसी बात के होते हुए भी उस तारीख से पूर्व, जिसको उपरोक्त उपबंध प्रवृत्त होते हैं, उक्त नियमों के अधीन दी गई या नवीकृत को गई सभी अनुज्ञापितियां इन नियमों के अधीन दी गई या नवीकृत को गई समझी जाएगी ।”
13. नियम 48 में, "अनुसूची" शब्द के स्थान पर "अनुसूची-1" शब्द और संख्या रहे जायेगी ।
14. उक्त नियमों के नियम 49 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
49. अनुज्ञापित के लिए आवेदन - इन नियमों के अधीन अनुज्ञापित प्राप्त करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, -
41. एक आवेदन, -
- 4क. प्रत्येक 1 में, यदि आवेदन दाख पात्रों में संपीडित गैस भंडार करने को अनुज्ञापित को बाबत है ;
- 4ख. प्रत्येक 2 में यदि आवेदन किसी यान द्वारा, दाख पात्रों में संपीडित गैस के परिवहन को अनुज्ञापित के बाबत है ;
- 4ग. प्रत्येक 3 में, यदि आवेदन द्रवित पेट्रोलियम गैस के भंडारण और उसके आटोमोबिलेटिव उद्देश्य के रूप में प्रदक्ष्य को अनुज्ञापित को बाबत है ;

- १२६ यथास्थित, नियम ३३ या नियम ४३ के अधीन सुरक्षा प्रमाणपत्र;
- १३६ नियम १२ के उपनियम १२६ के अधीन यथा अपेक्षित जांच और निरोक्षण प्रमाणपत्र ;
- १४६ नियम ३५ और ४६ के अधीन मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित रेखाचित्रों की चार प्रतियां ;
- १५६ अनुसूची-१ में यथा निर्दिष्ट अनुज्ञापित फीस ;
- १६६ जिला प्राधिकारों से दाब पात्रों में संपीडित गैस के भंडारण को बाबत निराक्षेप प्रमाणपत्र और साथ ही सम्यक रूप से पृष्ठांकित स्थल योजना ;
- १७६ संपीडित गैस के परिवहन के लिए गतिशील दाब पात्र को बाबत यान के, मोटर यान अधिनियम, १९८८ १९८८ का ५९६ के अधीन जारी रजिस्ट्रिकरण प्रमाणपत्र को प्राति ।”

१५. उक्त नियमों के नियम ५० में, उपनियम ११६ के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :-

११६ प्रस्प-३ या प्रस्प-५ में संपीडित गैस का दाब पात्रों में भंडारण को या प्रस्प-१ में किसी यान द्वारा संपीडित गैस का दाब पात्रों में परिवहन को अनुज्ञापित, अधिकतम तीन वर्षों के अधीन रहते हुए दी जायेगी या नवीकृत की जायेगी और वह उस वर्ष के, जिस तक उसे दिया गया है या नवीकृत किया गया है इक्कीस मार्च तक प्रवृत्त होगी ।”

१६. उक्त नियमों के नियम ५१ में, उपनियम १२६ के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

१३६ इन नियमों के अधीन प्रत्येक अनुज्ञापित परिवहन पर उसके लिए लिया गया अनुज्ञापित संख्यांक प्रभुत्व रूप से विनिश्चित होगा ।

१४६ अनुज्ञापित परिवहन में स्थानोप अग्नि शमक सेवा, पुलिस तथा मुख्य विपणन कंपनी या संपीडित गैस के आपूर्तिकर्ता का आपातकालीन दूरभाष नंबर और आपातकालीन अनुदेश सहज दृश्य रूप में उपदर्शित किए जायेंगे ।”

१७. उक्त नियमों के नियम ५४ के उपनियम १३६ में मद ११६ के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जायेगा, अर्थात् :-

"11. यथास्थित, प्रत्येक-1 में या प्रत्येक-1क में या प्रत्येक-2 में सम्यक रूप से भरना गया और हस्ताक्षरित आवेदन ।"

18. उक्त नियमों के नियम 55 में, उपनियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्रारम्भ-5 था

"44. अनुज्ञापित के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, यथास्थित, प्रत्येक-1 क या प्रत्येक-2 में किया जाएगा और उसके साथ अनुज्ञापित और विहित फीस संलग्न होगी ।"

19. उक्त नियमों के नियम 62 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"62क अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुदेशों का अनुपालन - यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित सूचना द्वारा अनुज्ञापित धारी से यह अपेक्षा करता है कि वह अनुज्ञापित परिसर में ऐसी कोई मरम्मत कराये, जो ऐसे प्राधिकारी को राय में परिसर को सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो अनुज्ञापित धारी उस अवधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, मरम्मत कराएगा ।"

20. उक्त नियम में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची-1 और अनुसूची-2 रखी जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची-1

नियम 48 देखें

अनुज्ञापित प्रत्येक, प्रयोजन, अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञापित फीस

क्र.सं.	अनुज्ञापित का प्रत्येक	प्रयोजन, जिसके लिए मंजूर किया गया है	अनुज्ञापित मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	फीस
1	2	3	4	5
1.	3	दाब पात्रों में कंपोडित गैस का भंडारण	मुख्य नियंत्रक	1क. जहां संस्थापन में पात्रों की कुल जलधारिता 5000 लीटर से अधिक नहीं है 1000 रु. 1ख. जहां संस्थापन में पात्रों की कुल जलधारिता 5000 लीटर से अधिक है, प्रथम 5000 लीटर के लिए 1000 रु. और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 लीटर या उसके किसी भाग के लिए अधिकतम 10000 रु. के अधीन रहते हुए 500 रु.
2.	4	यान द्वारा दाब	मुख्य नियंत्रक	1000 रु.

पात्र में संघोष्ठित
गैस का परिवहन

3. 5 द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदायक कर्ता अवस्थान में मोटर यानों में आटोमोटिव ईंधन के रूप में द्रवित पेट्रोलियम गैस का भंडारण और प्रदाय करने के लिए मुख्य नियंत्रक प्रस्प-3 में अनुशीलित के लिए दी गई अनुसार ।

अनुसूची 2

नियम 30क देखें।

द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदायकर्ता अवस्थान के लिए डिस्पेंसर का और उसके पाइप कनेक्शनों के लिए डिजाइन, गार्निशिंग, परीक्षण और अनुरक्षण -

- क. द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदायकर्ता के लिए प्रयुक्त डिस्पेंसर का प्रकार, मुख्य नियंत्रक के विनिर्देश के अनुस्य और अनुमोदित प्रकार का होगा ।
- ख. डिस्पेंसर में द्रव प्रवेशका पाइप लगी होगी जिसमें अधिक प्रवाह रोकक वाल्व, रिमोट चालित बंद होने वाले वाल्व और पाइप शिफ्टर व्यवस्था इसी क्रम में होगी ।
- ग. डिस्पेंसर सुदृढ़ आधार पर और भौतिक रूप से संरक्षित स्थान पर संस्थापित होगा । जिसके
- ड. होज के अंत में लगी डिस्पेंसिंग नोजल आस्ट्रेलियन विनिर्देश ए.एस.10 25 या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित अन्य स्थापित मानकों में यथाविनिर्दिष्ट बाईस मिलीमीटर के सामान्य आकार को स्वतः सील होने वाले प्रकार की और यानों में ईंधन टंकी के रूप में फिट सिलेण्डरों के फिल्टर कनेक्शन से उचित रूप से मेल होने वाली होगी ।
- घ. प्रत्येक प्रदायकर्ता यूनिट में जिससे मोटर यानों पर फिट किए गए सिलेण्डरों में द्रवित पेट्रोलियम गैस जाती है स्वतः, बंद होने वाले टाइप का ईंधन भरने वाला नोजल लगा होगा जिसके धियोजन पर निकला द्रव पन्द्रह मिली मीटर से अधिक का नहीं होगा ।

ज० सभी धात्विक द्रवित पेट्रोलियम गैस के पाइप चार को सुरक्षा के कारक सडित बत्तीस किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के न्यूनतम डिजाइन तक सहित प्रोपेन के लिए उपयुक्त होगा और अमेोरका के मानक ए एस एम ईई- बो 31.०3 के आंशिक डिजाइन किया जाएगा। तामगो निम्न कार्बन या मिश्रातु इस्पात को डोगो जो अमेोरका के मानक ए एस एम ईई-बो टी एम-एस ए 333 श्रेणी 6, या एस ए-106 श्रेणी अनुसूची 30 या आई-5 एल या समतुल्य के अनुस्य डोगी । पाइप लाइन का यदि जल परीक्षण किया जाता है तो रेशा परीक्षण डिजाइन दाब के डेढ़ गुना पर किया जाएगा, या यदि बायनोय परीक्षण किया जाता है तो रेशा परीक्षण डिजाइन दाब के दस प्रोतशत से अधिक पर किया जाएगा । पाइप लाइन के वालोस मिलोमोटर ब्यास के जोड़ को वेल्ड किया जाएगा या कौरदार बनाया जाएगा । पचास मिलो-मोटर व्यास तक अधिक प्रवाह रोधन बाल्व पंप कनेक्शनों जैसी विशेष फिटिंगों को छोड़कर धागेदार या पैचदार कनेक्शन नहीं दिए जायेंगे।

21. उक्त नियमों के प्रत्य-1 के पश्चात निम्नलिखित प्रत्य अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"प्रत्य 1 क"

नियम 4, 9, 54, और 55 देखें।

द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदायकर्ता अवस्थान में द्रवित पेट्रोलियम गैस के भंडारण और मोटर यानों का आटोमोटिव ईंधन के रूप में भंडारण को और प्रदाय अनुज्ञापित मंजूर करने संशोधन करने या उसका नवोकरण के लिए आवेदन ।

यदि आवेदन प्रत्य-5 में अनुज्ञापित मंजूर करने के लिए किया गया है तो इसे पन्ने के दूसरी ओर सूचो में दिए गए दस्तावेजों को इस आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें ।

आवेदक का नाम **

आवेदक की आजोविका

आवेदक का पूरा डाक पता

2. जिस परिसर में द्रवित पेट्रोलियम गैस का भंडारण किया जाना है उसकी अवस्थिति
राज्य
जिला
नगर या ग्राम
निकटतम रेल स्टेशन
3. भंडारण के लिए प्रस्तावित द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रकार
4. भंडारण के लिए प्रस्तावित द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम और संश्लेषण
5. भंडारण के लिए प्रस्तावित द्रवित पेट्रोलियम गैस की मात्रा
6. इन नियमों और पेट्रोलियम नियम, 1976 के अधीन परिसरों के लिए धारित अनुज्ञप्ति की यदि कोई हो, विशेषीष्टियां,
7. यदि पडले से हो भंडारित द्रवित पेट्रोलियम गैस की मात्रा,
8. यदि पडले से हो भंडारित पेट्रोलियम , यदि कोई हो, की मात्रा

में घोषणा करता हूँ कि ऊपर किए गए कथनों को मैंने जांच पडताल कर ली है और वे सही हैं और मैं उस अनुज्ञप्ति के, जो मुझे दी जाएगी, निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए बंधनबद्ध हूँ ।

आवेदन की तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर और उसका पदनाम

११ यदि कंपनियों को ओर से आवेदन किया जाता है तो कंपनियों का नाम और पता तथा प्रबंधक या अभिकर्ता का नाम दिया जाना चाहिए और आवेदन पर उसी के हस्ताक्षर होने चाहिए । प्रबंधक या अभिकर्ता के नाम में प्रत्येक परिवर्तन, अनुज्ञापन प्राधिकारों को शोध संसोधित किया जाएगा और उसके नमूना हस्ताक्षर अनुज्ञापन प्राधिकारों के पास फाइल किए जाएंगे ।

प्रत्येक 5 में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज

- ११० नियम, 46 के अधीन अनुमोदित विनिर्देशों और रेखांक को चार प्रतियां
 अनुज्ञोपत्त के संशोधन के बिना नवीकरण के लिए आवश्यक नहीं।
- १२० डिस्पेंसर, पाइपिंगों, होजों और अन्य फिटिंग्स के प्रमाण पत्र सहित विनिर्देश
 अनुज्ञोपत्त मंजूर करने या संशोधन के लिए अपेक्षित।
- १३० अनुज्ञोपत्त, अनुमोदित रेखांक और उससे संलग्न विनिर्देश सहित अनुज्ञोपत्त के
 प्रथम बार मंजूर किए जाने के लिए आवश्यक नहीं है।
- १४० यथास्थित, नियम 54 के उपनियम २० और नियम 55 के उपनियम १७ को
 अनुज्ञोपत्तों के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञोपत्त मंजूर करने, उसके संशोधन या नवीकरण
 करने के लिए फ़ोर्स का संदाय नियम 11 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों में किया
 जाएगा ।

§5§ नियम 33 के अधीन सुरक्षा प्रमाण-पत्र अनुज्ञोपत्त के नवीकरण के
 लिए आवश्यक नहीं।

22. उक्त नियम में प्रत्येक 3 की शर्तों में, शर्त 5 के स्थान पर निम्नलिखित
 शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :-

"5 किसी संपीडित गैस की भरवाई और उतरवाई के दौरान यान की पार्किंग
 के लिए उपयुक्त मजबूत स्टैंड उपलब्ध कराया जाएगा । मजबूत स्टैंड के
 केन्द्र और भण्डारण पात्र या संस्थापन की सीमा रेखा के बीच तथा साथ
 ही भरवाई या उतरवाई के स्थान और भण्डारण पात्र या संस्थापन की सीमा
 रेखा के बीच निम्नलिखित सुरक्षा दूरियां रखी जाएंगी :-

- ११० ज्वलनशील द्रवित गैसों के लिए परिष्करण, टर्मिनल और सिलेंडर भरण संयंत्र
 को दशा में, यथा स्थित, सारणो 4क या सारणो 4ख के अनुसार,
- १२० असंक्षारक, अविषैला और अज्वलनशील गैसों को दशा में चार मोटर और पचास
 सेटोमोटर,
- १३० अन्य सभी दशाओं में नौ मोटर
 परंतु यह कि द्रवित पेट्रोलियम गैस के भण्डारण के लिए भूमि के नीचे संस्थापित
 पात्रों में, मजबूत स्टैंड और ऐसे पात्र के बीच न्यूनतम दूरी तीन मोटर होगी ।"

23. उक्त नियमों के प्रत्येक 4 के पश्चात् निम्नलिखित प्रत्येक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

प्रत्य-5"**नियम 49 और 50 देखें।**

द्रवित पेट्रोलियम गैस अवस्थान पर द्रवित पेट्रोलियम गैस के भंडारण और मोटर यानों में आटोमोटिव ईंधन के रूप में प्रदाय के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञोप संख्यांक.....

फीस.....रुपए.....:

..... को भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 1884 का 4^{वां} तथा स्थिर और गतिशील दाब पात्र अज्वलित नियम, 1981 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नीचे वर्णित परिस्तरों में..... किलो ग्राम द्रवित पेट्रोलियम गैस के..... संख्या दाब पात्रों में भंडारण के लिए और द्रवित पेट्रोलियम गैस को मोटर यानों में आटोमोटिव ईंधन के रूप में प्रदाय करने के लिए विधिवानु अनुज्ञोप प्रदान की जाती है।

अनुज्ञोप 31 मार्च..... तक प्रवृत्त रहेगी।

तारीख

विस्फोटकों का मुख्य नियंत्रक

जारी करने की तारीख

अनुज्ञोप परिस्तरों की अंशस्थिति और प्रसुविधाओं का वर्णन

अनुज्ञोप परिस्तर, जिनका अभिप्राय, सोमार्स और अन्य विशेषोष्ठियों संलग्न अनुमोदित रेखा सं.....तारीख..... में दर्शाई गई हैं। पता.....

पर स्थिर है और उनमें निम्नलिखित हैं :-

1। भंडारण पात्र पहचान सं. और जल धारिता विनिर्दिष्ट करें कि क्या भूमि के उपर संस्थापित, ढोले से ढके या भूमि से नीचे संस्थापित है।

2। _____ सं. डिस्पेंसर, जिनकी मेक बनता है

3। अन्य प्रसुविधार _____

नवीकरणों के पृष्ठान्कन के लिए स्थान

भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन बने स्थिर और गतिशील दाबपात्र अज्वलित नियम, 1981 या अनुज्ञप्ति की शर्तों के उपबंधों के उल्लंघन की अनुपस्थिति में अनुज्ञप्ति, फीस में किसी रियायत के बिना तीन वर्ष के लिए नवीकरणीय होगी।	नवीकरण की तारीख	अवसान की तारीख	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और शासकीय मुद्रा
---	-----------------	----------------	--

यदि अनुज्ञप्त परिसर, इससे संलग्न ब्यौरों और शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं और ऐसे किसी नियम तथा शर्त के, जिसके अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है, उल्लंघन करते हैं, तो अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए दायी है। अनुज्ञप्तिधारी, विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9ख के अधीन, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए, दंड के लिए भी दायी है।

शर्तें

1. अनुज्ञप्त परिसर, अनुज्ञप्ति में वर्णित, अवस्थान और प्रसुविधाओं के ब्यौरों तथा अनुमोदित रेखांक के अनुरूप होंगे।
 2. अनुज्ञप्त परिसर केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाएंगे जिसके लिए वे अनुज्ञप्त हैं।
 3. द्रवित पेट्रोलियम गैस, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार, केवल भूमि के ऊपर संस्थापित या भूमि के नीचे संस्थापित या भूमि के ऊपर संस्थापित, जो मिट्टी {टीले} से ढके हैं, एक या अधिक दाब पात्रों में भंडारित की जाएगी।
 4. द्रवित पेट्रोलियम गैस भंडारण पात्र, डिस्पेंसर, पंप, संपीडक, पाइपिंग और फिटिंग्स का डिजाइन वह होगा जो वाणिज्यिक प्रोपेन के लिए उपयुक्त है।
 5. भंडारण पात्र किसी भवन या शेड में संस्थापित नहीं किया जाएगा।
 6. द्रवित पेट्रोलियम गैस की भंडारण पात्र में उतराई के प्रयोजन के लिए, नियमों के अनुसार टंकी ट्रक की पार्किंग के लिए मजबूत स्टैंड उपलब्ध कराया जाएगा।
 7. अनुज्ञप्त परिसरों की प्रसुविधाएं और उपस्कर नियम 22 की सारणी 5 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा दूरी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।
 8. द्रवित पेट्रोलियम गैस, मोटर यानों में ईंधन टंकी के रूप में प्रयुक्त केवल ऐसे सिलिण्डरों में प्रदाय की जाएगी जो मुख्य नियंत्रक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित हैं, और जिन्होंने मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण अवस्थान द्वारा संचालित, गैस सिलिण्डर नियमों के अधीन आवधिक कानूनी परीक्षण पास किया है।
 9. द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रदाय के लिए प्रयुक्त डिस्पेंसर मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुरूप होगा -
- {ख} इस में एक आधिक्य प्रवाह रोधन वाल्व, रिमोट चालित बंद होने वाला वाल्व और द्रव प्रवेशिका पाइप में पाइप शिअर व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी।
- {ख} डिस्पेंसर सुदृढ़ आधार पर संस्थापित किया जाएगा और वह भौतिक क्षति के विरुद्ध संरक्षित होगा।

§ ग § इसमें होज के कनेक्शन से पहले, डिस्पेंसर से निकलने वाली सुपुर्दगी लाइन पर आधिक्य प्रवाह रोधन वाल्व के साथ अलग हो जाने वाला उपस्कर या अलग हो जाने वाले उपस्कर के दोनों तरफ अंडरराईटर्स प्रयोगशाला सं. रा. अ. के विनिर्देश सं. 567 या समतुल्य के अनुरूप त्वरित व्यवच्छेदन करने वाले वाल्व उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि इसके टूटने की दशा में अलग होने वाले बिन्दु के दोनों तरफ से द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव को रोका जा सके ।

10. डिस्पेंसर द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस के मोटर यानों में प्रदाय के लिए होज का न्यूनतम डिजाइन दाब बत्तीस किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होगा, और उसका सुरक्षा घटक पांच होगा तथा उसे डेढ़ गुणा डिजाइन दाब पर, ऐसे अंतराल पर जो एक वर्ष से अनधिक होगा परीक्षित किया जाएगा । होज यांत्रिकी और इलेक्ट्रिक रूप में अविच्छिन्न होगी । होज की लंबाई पांच मीटर और पचास सेंटीमीटर से अनधिक होगी ।
11. होज के अन्त में लगी प्रदायकर्ता नोजल, आस्ट्रेलियन विनिर्देश ए एस-1425 या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित समतुल्य मानक में यथा विनिर्दिष्ट, स्वतः सीलबंद होने वाले प्रकार की होगी और उसका अभिहित आकार बाईस मिलिमीटर का होगा और वह यान में ईंधन टंकी के रूप में फिट सिलेंडरों के मरण कनेक्शन के साथ मेल खाने के लिए उपयुक्त होगा ।
12. आग लगने, दुर्घटना या अन्य आपातकालीन दशाओं में बिजली की आपूर्ति काटने के लिए डिस्पेंसर से न्यूनतम छह मीटर परे आसान पहुंच वाले अवस्थान पर स्पष्ट रूप से पहचान किए गये स्विच या सर्किट ब्रेकर उपलब्ध कराए जाएंगे । स्विच या सर्किट ब्रेकर, मोटर यानों में द्रवित पेट्रोलियम गैस भरने के स्थान से दृश्य होंगे ।
13. द्रवित पेट्रोलियम गैस की पंपिंग के लिए प्रयुक्त पंप या तो अपकेन्द्री अवगाहन-क्षम या पोजिटिव उद्वासन प्रकार के होंगे । पोजिटिव उद्वासन पंप में, अतिरिक्त दाब को रोकने के लिए उपमार्ग § बाईपास § उपलब्ध कराया जाएगा ।

14. डिस्पेंसर के लिए परसिंकटमय क्षेत्र वर्गीकरण निम्न होगा :-

- (क) डिस्पेंसर अहाता केबिनेट के भीतर सम्पूर्ण स्थान और अहाता केबिनेट के बहिर्भाग से छयालीस सेंटीमीटर क्षैतिज तथा डिस्पेंसर आधार के ऊपर एक सौ बाईस सेंटीमीटर की ऊंचाई तक और संपूर्ण गढ़ा या डिस्पेंसर के नीचे का खुला स्थान प्रभाग "1" होगा

§ ख § आस पास के भूमि तल के अनुलंब में छयालीस सेंटीमीटर ऊंचाई तक और छयालीस सेंटीमीटर से परे डिस्पेंसर अहाता केबिनेट के सभी तरफ क्षैतिज-छः मीटर तक प्रभाग "2" होगा ।

15. सभी धात्विक द्रवित पेट्रोलियम गैस पाईपिंग प्रोपेन की श्रेणी के लिए होगी और उन्हें अमरीकन मानक ए एस एम ई बी-31.3 के अनुसार न्यूनतम बत्तीस किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन दाब पर डिजाइन किया जाएगा और उसका सुरक्षा का घटक चार होगा। पाइप की कच्ची सामग्री अमरीकन मानक ए एस टी एम-एस ए-333, श्रेणी 6, या एस ए-106, श्रेणी-ख अनुसूची 80, या ए पी आई-5 एल या समतुल्य के अनुरूप निम्न कार्बन या मिश्रित इस्पात होगी। पाइपलाइन जलीय परीक्षण की दशा में डेढ़ गुणा डिजाइन दाब पर या बायलर परीक्षण की दशा में डिजाइन दाब के दस प्रतिशत अतिरिक्त पर परीक्षित की जाएगी। पाइप लाइन के चालीस मिलिमीटर से अधिक व्यास के जोड़ बेल्टिड या कोरदार होंगे। विशेष फिटिंग जैसे आधिक्य प्रवाह रोधन वाल्व, पचास मिलिमीटर व्यास तक के पंप कनेक्शनों को जोड़कर धागे वाले या पेचदार कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे।
16. अनुज्ञप्त परिसर में अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
17. कोई व्यक्ति ज्वलनशील गैस के भंडारण के लिए प्रयुक्त किसी पात्र में तब तक प्रवेश नहीं करेगा अथवा अग्नि, बेल्टिंग, गरम रिवेटिंग या बेजिंग द्वारा मरम्मत नहीं करेगा या कराएगा जब तक कि वह अच्छी तरह से साफ या गैस मुक्त न कर दिया गया हो या अन्यथा ऐसा गर्म कार्य करने के लिए सुरक्षित रूप से तैयार न कर दिया गया हो और सक्षम व्यक्ति द्वारा लिखित में इस प्रकार की तैयारी के लिए प्रमाणित न कर दिया गया हो जहां पात्र गैस मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्रमाण पत्र को कम से कम छह मास की अवधि के लिए रखेगा और उसे मागे जाने पर मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा।
18. अनुज्ञप्त परिसरों का प्रचालन, परिसरों में प्रयुक्त उपस्करों की जानकारी रखने वाले ऐसे व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन होगा जो सम्पीडित गैस की हैंडलिंग में प्रशिक्षित है तथा अन्य प्रचालक सम्पीडित गैस और अग्निशमन प्रचालनों से सहयुक्त परिसंगटों से सुपरिचित होंगे।
19. अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुमोदित रेखांक में दर्शाई गई हस्तांतरण प्रसुविधाओं के अलावा किसी अन्य उपाय द्वारा पात्र से द्रवित पेट्रोलियम गैस नहीं निकाली जाएगी।
20. धूम्रमान, बिना टक्कन के लाइटें, लैम्प, अग्नि के श्रोत या ऐसे अन्य प्रेरक जो ज्वलनशील वाष्पों में आग लगाने में सक्षम है, परिसर के भीतर अनुज्ञेय नहीं होंगे।
21. पात्र सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच के समय में नहीं भरा जाएगा सिवाय ऐसी रीति के और ऐसी अन्य शर्त या शर्तों के अधीन जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति पर विनिर्दिष्ट रूप में पृष्ठांकित है।

22. द्रवित पेट्रोलियम गैस के हस्तांतरण में प्रयुक्त सभी इलैक्ट्रिकल उपस्कर जैसे मोटर स्विच, स्टार्टर इत्यादि आई एस: 2148 के अनुरूप लपटसह निर्मिति के होंगे या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित टाइप के होंगे ।
23. अनुज्ञप्त परिसरों का प्रवन्धन करने वाला या उन पर या उनके किसी सहबद्ध पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे आग लगने या विस्फोट होने की सम्भावना हो और जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक नहीं है और वह अपने सम्पूर्ण सामर्थ्य से किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से रोकेगा ।
24. टंकी ट्रक उतराई क्षेत्र के समीप नौ किलोग्राम क्षमता के कम से कम दो शुष्क रासायनिक टाईप अग्नि शमक और ऐसे प्रत्येक डिस्पेंसर तथा हस्तांतरण पंप उक्त स्थान पर कम से कम एक समान शमक उपलब्ध कराये जायेंगे । इसके अतिरिक्त ऐसे प्रदायकर्ता अवस्थान पर, जिसमें केवल भूमि के नीचे संस्थापित या भूमि टीला से कठे द्रवित पेट्रोलियम गैस भंडारण पात्र है सत्तर किलो ग्राम क्षमता के दो शुष्क रासायनिक टाईप अग्नि शमक यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे । भूमि के ऊपर संस्थापित द्रवित पेट्रोलियम गैस भंडारण पात्रों वाले प्रदायकर्ता अवस्थान में, भंडारण पात्रों और भराई उतराई क्षेत्र के संपूर्ण बचाव के लिए सुविधाजनक स्थानों पर सात किलो ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के न्यूनतम जल दाव वाले हाइड्रैन्ट दिए जाएंगे और दस लिटर प्रति मिनट प्रति वर्ग मीटर फुव्हारा घनत्व वाले जल फुव्हारे भी दिए जाएंगे । अग्नि जल पंप अधिमानतः डीजल इंजन से चालित होंगे जो ऊपर विनिर्दिष्ट दर और दाव पर जल वितरण की क्षमता रखेंगे ।
- परिसरों में न्यूनतम उतना अग्नि जल भंडारण होगा जो कम से कम एक घंटे के अग्नि शमन के लिए आवश्यक है ।
25. टंकी ट्रक से भंडारण पात्र में द्रवित पेट्रोलियम गैस की उतराई की अवधि के दौरान मोटर यानों में द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रदाय की संक्रिया नहीं की जाएगी ।

26. अनुज्ञप्त परिसर में स्थानीय अग्नि शमन सेवा, पुलिस तथा मुख्य विपणन कंपनी का आपातकालीन दूरभाष नं. और आपातकालीन अनुदेश सहज दृश्य रूप में उपदर्शित किए जाएंगे।
27. पात्र पर के सभी वाल्व और परिसरों में सभी पाइप लाइनें स्थाई रूप से उस रीति में चिन्हित की जाएंगी जिसमें कि वे खोलने और बन्द करने की दिशा को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करेंगी।
28. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित सूचना द्वारा अनुज्ञप्ति धारी से यह अपेक्षा करता है कि वह अनुज्ञप्त परिसर में ऐसी कोई मरम्मत कराए, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में परिसर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो अनुज्ञप्ति धारी उस अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, मरम्मत कराएगा।
29. अनुज्ञप्त परिसरों के भीतर हुई किसी दुर्घटना, अग्नि कांड या विस्फोट को जिसमें कोई जान गई है या किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को गम्भीर क्षति पहुंची है तुरंत समीपस्थ मजिस्ट्रेट या समीपस्थ पुलिस थाना के प्रभारी को रिपोर्ट किया जाएगा और एक्सप्रेस टेलीग्राम द्वारा विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक (टेलीग्राफिक एजेंसी..... "विस्फोटक" नागपुर) को रिपोर्ट किया जाएगा।
30. नियम 69 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी को भी अनुज्ञप्त परिसरों में सभी उपयुक्त समयों पर मुक्त रूप से पहुँच दी जाएगी और ऐसे अधिकारी को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अनुज्ञप्ति के नियमों और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक् रूप से पालन हो रहा है, प्रत्येक सुविधा दी जाएगी।

[फा. सं. 2/5/96-विस्फोटक]

ए.ई. अहमद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल नियमावली (प्रिंसीपल रूल्स) दि. 4-2-1981 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45(अ) द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और तदनंतर उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किया गया :

- (1) सा.का.नि. 209, ता. 25-2-1983
- (2) सा.का.नि. 264(अ), ता. 10-3-1993
- (3) सा.का.नि. 243(अ), ता. 6-5-1997
- (4) सा.का.नि. 705(अ), ता. 17-8-1998